अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गजानन्द .... **बनाम** मैना वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर....147 सन.2022 (.)

2022 / 147

श्री सीताराम रावत एड

गजानन्द बनाम मैना वगैरह (147 / 2022)

21.06.2022 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.06.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 को वर्तमान अपीलांट के रजिस्ट्री में नये नम्बरों को कांट छांट के आधार पर एवं अवधि के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जबकि रजिस्ट्री में पुराने नम्बर भी अंकित है तथा मूल रजिस्ट्री भी पेश की गई एवं जानकारी से धोखाधड़ी का मुकदमा भी प्रार्थी द्वारा दर्ज कराया गया किन्तु सबकी अनदेखी करते हुए न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए नॉनस्पीकिंग तथा अस्पष्ट विवादित आदेश पारित किया गया। वर्तमान अपीलांटस रजिस्ट्री से वर्षो से उक्त आराजी पर खरीददार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है के बावजूद दस्तावेज रेकार्ड एवं मौके की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किये है, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्टस बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा बेचान, रहन, हस्तातंरण करने की धमकी दे रहे हैं। प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील ग्राम देराठू में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 271, 252 की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाने आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 31.05.2022 को यह आदेश दिये गये थे कि इस स्तर पर प्रार्थी को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हों। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर ही नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम मे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर